न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

दायरा दिनांक 25.06.2015

प्रकरण संख्या:– 03/2015
GCMS No. 2015/00061

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

रामपाल पुत्र आनन्दीलाल जाति धाकड़ निवासी गीगचा तहसील किशनगंज, जिला–बारां।

– प्रार्थी

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र गोपीलाल जाति काबेलिया निवासी गीगचा तहसील किशनगंज, जिला–बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला–बारां। **– अप्रार्थीगण**

उपस्थित

1. **श्री रामकिशन नागर , अभिभाषक प्रार्थी।**
2. **श्री भगवानलाल नरवरिया, अभिभाषक अप्रार्थी।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज.कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 निरस्त किये जाने बाबत्।

निर्णय दिनांक 19.11.2024

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं अप्रार्थीगणों की तलबी की गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मुकाम ग्राम पंचायत सिमलोद पर दिनांक 10.01.08 को ग्राम गीगचा तहसील किशनगंज की आराजी खसरा नं. 245/48 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा को अप्रार्थीकम 1 के नाम आवंटन कर दिया गया है। भू आवंटन समिति द्वारा आवंटन से पूर्व आवंटन बाबत गांव में कोई मुश्तरी नही करवाई गई है, न ही इस बाबत सूचना ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई और न ही ढोल से गांव में मुनादी करवाई गई है तथा गांव के भूमिहीन व्यक्तियों की कोई सूची नही बनाई गई है। आवंटनशुदा भूमि पर प्रार्थी का आवंटन से पूर्व व वक्त आवंटन कब्जा काश्त था उक्त भूमि वक्त आवंटन खाली नही थी उस पर वक्त आवंटन भी प्रार्थी का ही कब्जा काश्त था। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर भू–आवंटन सलाहकार समिति ने बिना जॉच किये अवैधानिक रूप से उक्त भूमि को अप्रार्थीकम 1 के नाम गलत रूप से आवंटन कर दिया है। उक्त आवंटन अवैधानिक होने से निरस्तनीय है।

उक्त भूमि पर प्रार्थी सन 1966 से आज तक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूर्व में ख0नं0 48 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा आराजी प्रार्थी के नाम आवंटन कर दी गई थी। जिसका इंतकाल नं. 10 दिनांक 24.09.70 को तस्दीक कर प्रार्थी के नाम गैरखातेदारी दर्ज कर दी गई थी तथा दिनांक 08.09.74 को उक्त आवंटन को निरस्त कर उक्त आराजी को अमरलाल पुत्र देवलाल जाति वैरबा निवासी गीगचा के नाम आवंटन कर दी थी। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के यहां अपील बउनवान रामपाल

बनाम अमरलाल मि.नं. 401/87 पेश की थी। उक्त अपील का निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.93 को फरमाया गया और प्रार्थी की अपील स्वीकार की गई थी तथा अपीलान्ट का कब्जा उक्त निर्णय में न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर उक्त आवंटन निरस्त किया गया था तथा अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा 1966 से मानकर उक्त आराजी अपीलान्ट के नाम नियमन किये जाने के आदेश दिये गये थे।

भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा की अवहेलना करते हुये उक्त आराजी अपीलान्ट के नाम नियमन नही करके दिनांक 15.04.06 को असगर अली पुत्र शमशाद अली मुसलमान निवासी गीगचा एवं कमला बाई पत्नि रामकिशन मेहतर निवासी सिमलोद के नाम आवंटन कर दी गई। प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहाबाद में उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसका क्रमांक 9/06 बउनवान रामपाल बनाम असगर अली तथा पत्रावली क्रमांक 10/06 रामपाल बनाम कमला बाई बगैरा के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटन निरस्त करने हेतु पेश की गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा दोनो प्रार्थना पत्रो का निर्णय दिनांक 26.12.06 को पारित कर असगर अली व कमलाबाई दोनो का आवंटन निरस्त किया गया था तथा निर्णय मे प्रार्थी का कब्जा 1966 से बदस्तुर माना गया है तथा उक्त न्यायालय द्वारा भी प्रार्थी के नाम उक्त आराजी को नियमन करने के निर्देश दिये गये है।

आवंटन निरस्त होने व प्रार्थी का कब्जा उक्त आराजी पर 1966 से राजस्व अभिलेखो एवं न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहाबाद के निर्णय से प्रमाणित है इसके बावजूद भी आवंटन समिति द्वारा ग्राम गीगचा की आराजी खसरा नं. 245/48 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा पर उक्त निर्णय की पालना नहीं कर पुनः गैरकानूनी रूप से अप्रार्थी के नाम दिनांक 10.1.08 को आवंटन कर दी गई है। उक्त आवंटन विधि विरूद्व होने से व कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। आराजी पर प्रार्थी का कब्जा 1966 से बदस्तुर आज तक निरन्तर चला आ रहा है आवंटी का कोई कब्जा काश्त नही है तथा राजस्व अभिलेखो एवं उपरोक्त न्यायालय के निर्णयों से भी प्रार्थी का कब्जा उपरोक्त आराजी पर प्रमाणित है इस कारण उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्त आराजी मे गत वर्ष भी प्रार्थी ने फसल बोई एवं काटी है तथा इस वर्ष भी उक्त आराजी को फसल बोने के लिए हांक जोत कर फसल बोने के लिये तैयार किया हुआ है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी का कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। वक्त आवंटन उक्त भूमि खाली नही थी व प्राथी के कब्जे काश्त मे थी ऐसी अवस्था में उक्त आवंटन विधि के मान्य सिद्वान्तो के व आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

अप्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वमुकाम सिमलोद द्वारा दिनांक 10.01.08 को वाके ग्राम गीगचा की आराजी खसरा नं. 245/48 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी का वक्त आवंटन उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं था। पूर्व में यदि कोई कब्जा रहा भी होगा तो प्रार्थी अतिक्रमी होने से बेदखल कर दिया गया तथा वक्त आवंटन भूमि खाली थी कोई फसल नहीं थी आवंटन समिति द्वारा सरकारी भूमि जो आवंटन योग्य थी कि रिपोर्ट तहसील से नियमानुसार मांगने पर सरकारी खाली भूमि की रिपोर्ट आवंटन समिति के पास आने पर अप्रार्थी जो उसी गांव व पंचायत का निवासी होने तथा अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन भूमिहीन होने तथा आवंटन नियमों की पालना करके ही किया गया है। आवंटन शुदा भूमि पर नियमानुसार दखल दिया गया है। प्रार्थी द्वारा समस्त तथ्य मनगढन्त होने से उसका प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान में आवंटनशुदा भूमि पर बतौर खातेदार हूँ। प्रार्थी के दिल में बदनियति आ गई है और मनगढन्त व निराधार तथ्यों पर आधारित इस प्रार्थना पत्र की आड में उक्त आराजी को हडपना चाहता है। प्रार्थी का उक्त आवंटनशुदा आराजी पर कभी भी एक क्षण के लिए भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी को महज रंजिशन गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान वकीलों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। विद्वान वकील प्रार्थी का यह कथन कि वक्त आवंटन भूमि खाली नहीं थी तथा प्रार्थी का वर्ष 1966 से ही कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय अनुसार प्रार्थी को कब्जे के आधार पर ख0 नं0 48 की 9 बीघा 3 बिस्वा आराजी दिनांक 20.06.66 को आवंटित की गई थी तथा इन्तकाल नं0 10 दिनांक 28.09.70 से विवादित आराजी प्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी परन्तु जिलाधीश कोटा

Scanned with OKEN Scanner

के आदेश दिनांक 8.9.74 से यह आवंटन निरस्त कर दिया गया। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी कोटा ने अपने निर्णय में ये निर्देश दिये थे कि आवंटन की दिनांक से लगातार अपीलान्ट का कब्जा पाया जावे अथवा रेस्पाडेन्ट को वक्त आवंटन अपीलान्ट का कब्जा पाया जावे तथा अपीलान्ट आवंटन की पात्रता रखता हो तो उसके पक्ष में किया गया आवंटन बहाल रखा जावे। परन्तु इस निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया गया प्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

जहॉ तक खं0 नं0 48 पर प्रार्थी को पुराना कब्जा चले आने के कारण विवादित भूमि प्रार्थी को ही आवंटित होने का प्रश्न है प्रार्थी ने वक्त आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो तथा आवंटन कमेटी द्वारा उसको अस्वीकार कर दिया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आवंटी के विद्वान वकील द्वारा बहस के दौरान कहा था कि खं0 नं0 48 पर पुराने कब्जे के आधार पर प्रार्थी को पूर्व में 10 बीघा भूमि आवंटन हो चुकी है तथा कब्जे के उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर खं0नं0 48 की शेष भूमि पर भी प्रार्थी आवंटन कराना चाहता है। इस सम्बन्ध में खं0नं0 48 की आराजी की रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार रामपाल पुत्र परसादीलाल धाकड के नाम 10 बीघा भूमि आवंटन पूर्व में हो चुकी है। आवंटी के विद्वान वकील ने यह भी बताया कि रामपाल पुत्र आनन्दीलाल एवं रामपाल पुत्र परसादीलाल एक ही व्यक्ति है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार किशनगंज से रिपोर्ट चाही गई थी रामपाल पुत्र आनन्दीलाल एवं रामपाल पुत्र परसादीलाल एक ही व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं इस पर तहसीलदार किशनगंज ने नायव तहसीलदार नाहरगढ़ एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली जाकर अवगत कराया कि रामपाल पुत्र परसादीलाल नाम का कोई व्यक्ति ग्राम गीगचा में नहीं रहा है। बल्कि रामपाल के पिता का नाम आनन्दीलाल ही है। इस बात का खण्डन प्रार्थी के विद्वान वकील के द्वारा भी नहीं किया। प्रार्थी आवंटन की पात्रता रखता है इस सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। आवंटन फार्म के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी को पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति के कोरम द्वारा मजमे आम में अप्रार्थी को उक्त भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। इस प्रकार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.01.08 को अप्रार्थी कम 1 रामप्रसाद पुत्र गोपीलाल जाति कालवेलिया निवासी गीगचा तहसील किशनगंज को उक्त भूमि का किया गया आवंटन उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.01.08 को अप्रार्थी रामप्रसाद पुत्र गोपीलाल जाति कालवेलिया निवासी गीगचा तहसील किशनगंज को ग्राम गीगचा की आराजी खसरा नं. 48 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner